

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- बरदहमारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21-09-2023 को वादी मुकदमा कमलेश गौड़ S/O राममिलन गौड़ ग्राम दुबराँ थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्तों 1. डम्पी S/O जुम्नन, 2. रिजवान S/O जुम्नन ने खेत से मक्का तोड़ने से मना करने पर गाली देते हुये लाठी डन्डे व ईंट से मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 388/23 धारा 323/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23-09-2023 को उ0नि0 जुबैर अहमद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. डम्पी उर्फ असगर पुत्र जुम्नन तथा प्रकाश मे आये अभियुक्त 2. जुम्नन पुत्र रउफ समस्त निवासी ग्राम दुबरा थाना बरदह आजमगढ़ को ग्राम दुबरा से समय करीब 09.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. जुम्नन पुत्र रउफ ग्राम दुबरा थाना बरदह आजमगढ़
2. डम्पी उर्फ असगर पुत्र जुम्नन ग्राम दुबरा थाना बरदह आजमगढ़

बरामदगी का विवरण:- घटना में प्रयुक्त एक लाठी व एक डण्डा

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 जुबैर अहमद थाना बरदह, आजमगढ़
2. हे0का0 विहंगल यादव थाना बरदह, आजमगढ़

थाना पवईदहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 02.09.2023 को वादिनी मुकदमा सुशीला देवी पत्नी लालचन्द निवासी ग्राम रज्जाकपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी की लड़की प्रीति राजभर की शादी विपक्षी मोनू राजभर पुत्र मुन्नर राजभर ग्राम कटैया पो0 मखदूम पुर बरामदपुर चौकी बेलवाई थाना अखण्ड नगर जनपद सलतानपुर से हुयी थी विपक्षी, वादिनी की लड़की को दहेज की मांग को लेकर प्रतिदिन मार पीट कर प्रताड़ित करता था। जिससे वादिनी की लड़की ने परेशान होकर टुपट्टे से घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 277/23 धारा 498ए/306 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 23.09.2023 को उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मोनू राजभर पुत्र मुन्नर राजभर ग्राम कटैया पो0 मखदूम पुर बरामदपुर चौकी बेलवाई थाना अखण्ड नगर जनपद सलतानपुर को पुलसराय तिराहा से समय करीब 07.10 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 277/23 धारा 498A,304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास:- मु0अ0सं0 277/23 धारा 498A,304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:- मोनू राजभर पुत्र मुन्नर राजभर ग्राम कटैया पो0 मखदूम पुर बरामदपुर चौकी बेलवाई थाना अखण्ड नगर जनपद सलतानपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 जयप्रकाश मय हमराह थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दि० 23.9.23 को उ०नि० नागेन्द्र कुमार पाण्डेय मय हमराह को सूचना मिली कि लारपुर पुल के पास 01 व्यक्ति अवैध असलहा के साथ मौजूद है। इस सूचना पर उ०नि० नागेन्द्र कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा अभियुक्त शिवम यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी पल्थी (बनपुरवा) थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को लारपुर पुल से समय करीब 7.15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 240/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता – शिवम यादव पुत्र सुभाष यादव निवासी पल्थी (बनपुरवा) थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	56/21	115/120बी/399/402 भादवि	शाहगंज	जौनपुर
2	60/21	4/25 आर्म्स एक्ट	शाहगंज	जौनपुर
3	240/23	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1. प्र०नि० नदीम अहमद फरीदी थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 3. उ०नि० नागेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 4. का० का० सुधांशु यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना दीदारगंज

अवैध गांजा के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

आज दिनांक 23.9.23 को उ०नि० अतीक अहमद मय हमराह द्वारा ग्राम गदोपुर मे बिहटा मोड़ के पास से अभियुक्त मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल रउफ ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ को 900 ग्राम गांजा के साथ समय लगभग 8.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 241/23 धारा 8/20 एनडी०पी०एस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता – मोहम्मद आरिफ पुत्र अब्दुल रउफ ग्राम दरियापुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 30 वर्ष (एच०एस न० 78ए)

आपराधिक इतिहास-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा	थाना	जनपद
1	107/15	147/148/332/336/353/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
2	116/15	3/5/8 गोवध नि०अधि०	दीदारगंज	आजमगढ़
3	46/20	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
4	137/21	3/5क/6/5ख/8(1)उ०प्र० गोवधनि०अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि०	दीदारगंज	आजमगढ़
5	192/21	307/34 भादवि व 3/5/8 गोवधनि०अधि०	दीदारगंज	आजमगढ़
6	193/21	3/25 आर्म्स एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़
7	241/23	8/20 एनडी०पी०एस एक्ट	दीदारगंज	आजमगढ़

बरामदगी- अवैध गांजा 900 gm

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1. प्र०नि० नदीम अहमद फरीदी थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 3. उ०नि० अतीक अहमद थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 4. हे०का० प्रमोद यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़
- 5. का० दीपू शर्मा थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- जीयनपुर
दुकान में चोरी करने वाला गिरफ्तार

दिनांक- 22/09/2023 को वादी मुकदमा प्रशान्त शर्मा पुत्र सूर्यनाथ शर्मा नि0ग्राम दाउदपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ मय हमराह राकेश यादव पुत्र इन्द्राशन यादव नि0दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ व अखिलेश यादव पुत्र बाबूराम यादव नि0कोटिया जाहंगीरपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ मो0नं0 9696xxxxxxx द्वारा अभियुक्त नौशाद पुत्र सोएब खान नि0ग्राम धौरहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को थाना पर आकर प्रार्थना पत्र दिये कि नौशाद पुत्र सोएब खान नि0ग्राम धौरहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरी दुकान का ताला तोड़कर दुकान के अन्दर घुसकर 15000/रु0 नगद व इन्वर्टर ,बैटरी चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे दाखिल किये की दाखिला तहरीर के आधार थाना जीयनपुर आजमगढ़ पर मु0अ0स0 -646/2023 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0श्री रविन्द्र प्रताप यादव द्वारा सम्पादित की जा रही है विवेचना से धारा 511 भादवि की बढ़ोतरी की गयी है। अभियुक्त नौशाद को नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- नौशाद पुत्र सोएब खान नि0ग्राम धौरहरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0-646/2023 धारा 457,380 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0-254/2015 धारा 3/25A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

2. मु0अ0स0-646/2023 धारा 457/380/511 भादवि थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज
अपहता को खरीद कर दुष्कर्म करने आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 21.05.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की नाबालिग भतीजी को अज्ञात व्यक्ति बहाल- फुसला कर भगा ले गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 127/23 धारा- 363 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत विवेचना उ0नि0 जितेन्द्र सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

➡ विवेचना के दौरान पीड़िता को को ग्राम सिंगोई थाना कुवरगांव जनपद बदायूं से बरामद किया गया। पीड़िता के बयान पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 376/372/373 IPC व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी व अभियुक्तो 1. अक्षित शर्मा पुत्र गिरीशचन्द्र शर्मा निवासी सिंगोई थाना कुवरगांव जनपद बदायूं 2. राधा पत्नी अज्ञात निवासी अज्ञात का नाम प्रकाश में आया।

➡ विवेचना के दौरान प्रकाश मे आया कि अभियुक्ता राधा ने नाबालिग अपहता को बहला फुसला कर घर से ले गयी और उसे अभियुक्त अक्षित शर्मा को 60 हजार रुपये में बेच दी थी। अक्षित शर्मा ने नाबालिग अपहता को खरीद कर उसे पत्नी के रूप में रखा था। अभियुक्ता राधा के विरुद्ध धारा 372/363 IPC में व अभियुक्त अक्षित शर्मा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 376/373 IPC व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी कर विवेचना प्रचलित की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 19.09.2023 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीड़िता को ग्राम सिंगोई थाना कुवरगांव जनपद बदायूं से बरामद किया गया। तथा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश मे आये अभियुक्तो 1. अक्षित शर्मा पुत्र गिरीशचन्द्र शर्मा निवासी सिंगोई थाना कुवरगांव जनपद बदायूं 2. राधा पत्नी अज्ञात निवासी अज्ञात का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्ता राधा के विरुद्ध धारा 372/363 IPC व अभियुक्त अक्षित शर्मा के विरुद्ध धारा 376/373 IPC व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी।

➡ आज दिनांक 23.09.2023 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त मे प्रकाश में आये अभियुक्तो 1. अक्षित शर्मा पुत्र गिरीशचन्द्र शर्मा निवासी सिंगोई थाना कुवरगांव जनपद बदायूं को जेहरा पिपरी स्टेट बैंक के पास से समय करीब 9.00 बजे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि जून के शुरूआत मे राधा नाम की महिला जिससे काफी पहले अचानक बात हुई थी तभी वह मेरे नम्बर पर फोन करके मुझे बदायूं में बुलाई थी वह नम्बर मुझे याद नहीं है और उसने एक लड़की को मुझे 60 हजार रुपया लेकर दिया था और उसके बाद से मैं उस लड़की को लेकर अपने घर चला गया और मेरे घर वाले जो मुझसे अलग रहते है को मैंने

बताया था कि मैं इससे शादी करूंगा और तब से मैं उसको लेकर पति पत्नी की तरफ रहता था। दिनांक 19.09.2023 को कप्तानगंज पुलिस मेरे घर पहुंची और उस लड़की को साथ लेकर चली आयी थी। पुलिस वालों को देखकर मैं भाग गया था।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 127/23 धारा- 376/372/373/363 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 127/23 धारा- 376/372/373/363 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- 1. अक्षित शर्मा पुत्र गिरीशचन्द्र शर्मा निवासी सिगोई थाना कुवरगांव जनपद बदायूं।

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना- कोतवाली

मोटर साइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्त अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 22.09.2023 वादी सर्वेश राजभर पुत्र रामबली निवासी छिही बिलरियागंज आजमगढ़ द्वारा थाना बिलरियागंज पर शिकायत किया गया था वादी की मोटर साइकिल हीरो होण्डा को अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। जिसके आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 340/2023 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.9.23 को उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त 1. अंकित तिवारी उर्फ रवि तिवारी पुत्र महेन्द्र प्रताप तिवारी निवासी ग्राम माधोपुर सिंघवारा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष व 2. सलमान पुत्र सुभान निवासी साबदीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को बाग लखराव पुल से समय 09.20 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 01 देशी नजायज तमन्चा व 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर तथा चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 544/23 धारा 411,420,467,468 भादवि व 3 /25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1. अंकित तिवारी उर्फ रवि तिवारी पुत्र महेन्द्र प्रताप तिवारी निवासी ग्राम माधोपुर सिंघवारा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष।
- 2. सलमान पुत्र सुभान निवासी साबदीपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:- 01 देशी नजायज तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 मोटर साइकिल (चोरी की)

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 544/23 धारा 411,420,467,468 भादवि व 3 /25 शस्त्र अधि. थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अंकित तिवारी

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	163/2023	3/ 25 शस्त्र अधि.	बिलरियागंज	आजमगढ़
2	340/23	379 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
3	544/23	411,420,467,468 भादवि व 3 /25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़

सलमान

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	340/23	379 भादवि	बिलरियागंज	आजमगढ़
2	544/23	411,420,467,468 भादवि व 3 /25 शस्त्र अधि.	कोतवाली	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – 01. उ0नि0 रामकिशोर शर्मा मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

कूटरचित दस्तावेज बनाकर बैनामा कराने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 15.03.2023 को वादिनी मुकदमा लालती देवी पत्नी प्रभुनाथ ग्राम करौती थाना व तहसील मेंहनगर जिला आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी रामरूप पुत्र रामधारी ने वादिनी के मकान व आबादी को बदनियती एव अनाधिकृत रूप से कूटरचित दस्तावेज के आधार पर व साजिस कर के कल्पनाथ पुत्र रिबई ग्राम- गजोर थाना मेहनगर को बैनामा कर दिया है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 102/23 धारा 419/420/467/468/471/120B IPC पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 23.09.2023 को उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हरेन्द्र सिंह पुत्र गोरख सिंह सा0 करौती थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ (बैनामा के समय गवाही करने वाला) को जयनगर चौराहे से समय 12.40 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता- हरेन्द्र सिंह पुत्र गोरख सिंह सा0 करौती थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 102/23 धारा 419/420/467/468/471/120B IPC थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास – मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्य मय हमराह का0 हीरालाल थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना फूलपुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07-05-2023 को अभियुक्त के बजाज मैक्सिमा श्री व्हीलर टैम्पो के अन्दर प्लास्टिक की बोरी मे रखा 15 किलो प्रतिबंधित बरामद होने के सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 182/23 धारा 3/5/8 गोवध निवा0 अधि0 में जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के क्रम में दिनांक 23.09.23 को प्र0नि0 गजानंद चौबे के दिये गये लिखित फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 428/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट फूलपुर आजमगढ़ बनाम 1 बनाम 1. अब्दुल्लाह पुत्र अनीश साकिन अम्बारी का फाटक थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ 2-अनीश पुत्र रोजन अली निवासी नौहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष पवई के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक- 23.09.2023 को प्रभारी निरीक्षक गजानंद चौबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अब्दुल्लाह पुत्र अनीश साकिन अम्बारी का फाटक थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष को अम्बारी फाटक घर के बाहर से दिनांक 23-09-2023 को समय 10-05 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 428/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अब्दुल्लाह पुत्र अनीश साकिन अम्बारी का फाटक थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 34 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 182/23 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना फूलपुर आजमगढ़

2- मु0अ0सं0 183/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

3- मु0अ0सं0 428/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना फूलपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. प्र0नि0 गजानन्द चौबे मय हमराह थाना फूलपुर आजमगढ़।

थाना- जहानागंज

चोरी गये टुल्लू पम्प के साथ 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक 08.06.23 को वादी मुकदमा सुशील कुमार पुत्र सन्तराज राम ग्रा0 कोढ़वा पो0 महुआ मुरारपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि 01 बाल आपचारी ने मेरा टुल्लू पम्प खोल कर चोरी कर लिया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/23 धारा 379/411 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- उ0नि0 सतीष यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बाल अपचारी को उसके घर से समय 12.20 बजे पुलिस संरक्षण में लेकर मा0 न्यायालय प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त - 01 बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण:- 01 टुल्लु पम्प

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 258/23 धारा 379/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – 1. उ0नि0 सतीष कुमार यादव मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना- कोतवाली
दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना – दिनांक 21.09.2023 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी ओम प्रकाश जायसवाल पुत्र गोकुल प्रसाद जायसवाल निवासी कीटगंज थाना कीटगंज जनपद प्रायागराज के साथ 3 वर्ष से पति पत्नी की तरह रह रही थी। पति पत्नी की तरह रहने के दौरान वादिनी की बड़ी लड़की के साथ ओम प्रकाश जायसवाल डरा धमका कर गलत कार्य करता और दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया तथा मेरी लड़की को जान से मारने की धमकी दी जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 542/23 धारा 376/313/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण– आज दिनांक 23.9.23 को उ0नि0 रत्नेश दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त ओमप्रकाश जायसवाल पुत्र गोकुल जायसवाल निवासी हाल मुकाम यमुना बैंक रोड थाना कीडगंज जनपद प्रयागराज को मातवरगंज थाना कोतवाली आजमगढ़ से समय 12.05 बजे नियमानुसार गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

1. ओमप्रकाश जायसवाल पुत्र गोकुल जायसवाल निवासी हाल मुकाम यमुना बैंक रोड थाना कीडगंज जनपद प्रयागराज स्थाई पता टीकर कटरा थाना कोरांव जनपद प्रयागराज उम्र 23 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 542/23 धारा 376/313/506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

01. उ0नि0 रत्नेश दूबे, थाना कोतवाली आजमगढ़
02. कां0 आसुतोष दूबे, थाना कोतवाली आजमगढ़
03. कां0 पिन्टू यादव थाना कोतवाली आजमगढ़